



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोचिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

सी.सं.सी. No. II/39/47/2017-हिन्दी / के.उ.शु.

दिनांक Date : 30.08.2017

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समारोह, 2017 - अधिकारियों के बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन -संबन्धित ।

Sub : Joint Hindi Fortnight Celebrations, 2017-Competitions for Children of Officers- Regarding.

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोचिन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोचिन में दिनांक 25.09.2017 से 06.10.2017 तक संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समारोह का आयोजन करने जा रहा है । इस पखवाड़ा समारोह के दौरान अधिकारियों के बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ।

As a part of the implementation of Official Language Policy, it has been decided to jointly celebrate Hindi Fortnight in this Commissionerate along with the Commissionerate of Central Excise & Service Tax, Audit, Cochin from 25.09.2017 to 06.10.2017. During the fortnight various Hindi competitions will be conducted as per the following schedule.

क्रमांक Sl.No.	प्रतियोगिताएं Competitions	ग्रुप /Groups	तारीख Date	समय Time
1	हस्तलेखन प्रतियोगिता Handwriting Competition	4 ग्रुप /Groups Group-1 Group-2 कक्षाएं / Classes 4-6	28.09.2017 गुरुवार Thursday	3.00PM -5.30PM
2	कविता पाठ प्रतियोगिता Poetry Recitation	Group-3 Group-4 कक्षाएं/ Classes 7-9 कक्षाएं/Classes 10-12		

सभी प्रतियोगिताएं आयुक्तालय के ऑडिटोरियम / कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी । प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा । सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें । कृपया भाग लेने के लिए हिन्दी यूनिट से संपर्क करें । यदि किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या पाँच से कम हो तो उक्त प्रतियोगिता को रद्द किया जा सकता है।

All the competitions will be organized in the Auditorium /Conference Hall of the Commissionerate. Prizes will be distributed to the winners of the competitions during the valedictory function. All officers are requested to encourage their children to participate in the competitions. For participation kindly contact Hindi section(Extn:416) or (Extn:368 in Audit Commissionerate). If participation in any competition is less than five the competition may be cancelled.

अमरनाथ केसरी/Amarnath Kesari

संयुक्त आयुक्त [का. व सत.] व राजभाषा अधिकारी

प्रतिलिपि / Copy to:-

- The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, Cochin-18.
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन
The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin.
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखा परीक्षा, कोचिन
The Commissioner of Central Excise & Service Tax, Audit, Cochin.
- 4.अपर आयुक्त (मु.आ.का.), संयुक्त आयुक्त(तकनीकी), संयुक्त आयुक्त(लेखा परीक्षा आयुक्तालय),
के सभी उप/सहायक आयुक्त तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी उप/सहायक आयुक्त
Addl.Commissioner(CCO), Joint Commissioner(Tech),Joint Commissioner(Audit
Commissionerate),All Dy./Asst. Commissioners in Hqrs. Office and All Dy./Asst.
Commissioners in Audit Commissionerate.
- 4.कोचिन आयुक्तालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी प्रभागों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
All Dy./Asst. Commissioners in charge of all divisions of Cochin
Commissionerate & Audit
Commissionerate.
- 5.मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी(मु.)/ प्रशासनिक
अधिकारी(डी.डी.ओ.), मुख्यालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय / CAO/PAO/AO(H)/AO(DDO),
Hqrs. Office & Audit Commissionerate.
6. मुख्यालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी अनुभाग / All Sections in Hqrs. Office &
Audit Commissionerate.
7. अधीक्षक (जन संपर्क अधिकारी)/ केयरटेकर को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए ।
Superintendent (PRO)/ Caretaker with request for making necessary
arrangements for the programme.
8. अधीक्षक (ई.डी.पी. कक्ष) वैबसाइट में अपलोड करने के लिए
Superintendent (EDP Cell) for uploading in the website.
- 9.सूचना प्ल / Notice Board.